न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2015

अपीलान्ट

1 कालुराम पुत्र दीपाराम जाति घांची निवासी मण्डिया तहसील पाली
2 पुष्पा सांखला पत्नी रमेशकुमार सांखला जाति माली निवासी पाली
3 दीपाराम पुत्र आईदान जाति सिरवी निवासी मण्डिया तहसील पाली
4 खीमाराम पुत्र गैनाजी जाति घांची निवासी मण्डिया तहसील पाली
5 चुन्नीदेवी बेवा रूपाराम जाति सिरवी निवासी मण्डिया तहसील पाली
6 सोनीदेवी पत्नी कनजी जाति सिरवी निवासी मण्डिया तहसील पाली
7 मोहनलाल पुत्र रूपाजी जाति घांची निवासी मण्डिया तहसील पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 मृतक वोराराम उर्फ वोरिया पुत्र सुजाजी जाति घांची निवासी मण्डिया के का0मु0
1.1 गवरीदेवी पत्नी वोराराम उर्फ वोरिया
1.2 ओमप्रकाश पुत्र वोराराम उर्फ वोरिया
1.3 नेमाराम पुत्र वोराराम उर्फ वोरिया
2 प्रभुडा उर्फ प्रभुराम पुत्र हिम्मताजी जाति घांची निवासी मण्डिया तहसील पाली जिला पाली के का0मु0
2.1 भैराराम पुत्र प्रभुडा उर्फ प्रभूराम
2.2 चुन्नीलाल पुत्र प्रभुडा उर्फ प्रभूराम
2.3 कालुराम पुत्र प्रभुडा उर्फ प्रभूराम
2.4 बाबूलाल पुत्र प्रभुडा उर्फ प्रभूराम
2.5 भंवरी पुत्री प्रभुडा उर्फ प्रभूराम पत्नी कालुराम निवासी ढाबर तहसील रोहट
2.6 रूकीया पुत्री प्रभूडा उर्फ प्रभूराम पत्नी कालुराम निवासी गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली
3 उम्मेद खां पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान निवासी मानपुरा भाकरी तहसील पाली जिला पाली
4 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांकः— 18.5.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2006 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि विनिमय हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता/पति प्रार्थी संख्या 1 के रूप में संयोजित थे। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स ने आपसी सहमति से भूमि विनिमय हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 वोराराम की खातेदारी भूमि ग्राम मण्डिया के खसरा नम्बर 578/1 रकबा 9 बीघा में से 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 अर्थात अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 578/2 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा में से 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि का विनिमय किये जाने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान् ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया कि पक्षकारान् अनुसूची 'ब' के अनुसार काबिज हो गए है तथा पूर्व में भी इसी अनुरूप काबिज काश्त थे। राजस्व रेकर्ड में खसरा मिलान आदि की स्थिति रेस्पोडेन्ट से मिलान तक तथा पटवारी हल्का द्वारा पासबुक में वर्णित स्थिति रेस्पोडेन्ट से विपरित है। इस हेतु पक्षकार विनिमय चाहते है। दौराने वाद प्रार्थी संख्या 1 वोराराम फौत हो चुका था। आवेदन में तहसीलदार का जवाब प्राप्त होन के पश्चात प्रार्थी संख्या 1 वोराराम के वारिशान द्वारा दिनांक 21.10.2014 को प्रकरण विड्रो करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसका प्रार्थी संख्या 2 द्वारा विरोध करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये प्रकरण जरिये विड्रोल खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि धारा 48 के आवेदन पर पारित आदेश की अपील इस न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकती है, ये गलत है। चूंकि भूमि विनिमय के प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अथवा सहायक कलेक्टर के समक्ष ही प्रस्तुत होता है, जिसमें पारित आदेशों की अपील कानूनन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष ही पोषणीय होती है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जिस धारा के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की है, उसके अन्तर्गत जैर अपील आदेश को चुनौती दिया जाना वैधानिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई त्रुटी नहीं है, जिसके कारण उक्त आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक हो। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण जरिये विड्रो खारिज करने का आदेश पारित किया गया है, जिसकी अपील धारा 225 के तहत पोषणीय नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची तृतीय के अनुसार इस आदेश की अपील नहीं हो सकती है तथा न ही यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1 में कवर होता है। इसका एकमात्र उपचार माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी ही है। जब किसी व्यक्ति ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो तथा वह कालान्तर में प्रकरण चलाने का इच्छुक नहीं हो, तो धरा 48 के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती है। बिना सहमति के धारा 48 के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त जैर अपील आदेश दिनांक 21.10.2014 को पारित किया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है, वह दिनांक 05.02.2015 को की गई है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर होने के कारण ही खारिज योग्य है। इन समस्त कारणों से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रथमतः बिन्दु यह प्रकट होता है कि धारा 48 के तहत पारित आदेश की अपील धारा 225 के तहत इस न्यायालय में पोषणीय है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 से 52 में विस्तृत प्रावधान वर्णित है। इसके तहत भूमि विनियम हेतु प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर के समक्ष ही प्रस्तुत होता है तथा उक्त धारा के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकार (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 3 के नियम 12 से 17 में भूमि विनिमय की प्रक्रिया विहित है। अब जहां तक उक्त धारा के अन्तर्गत पारित किसी आदेश की अपील का प्रश्न है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची तृतीय के भाग 2 के अनुसार इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को प्रार्थना पत्र की श्रेणी में शुमार किया गया है, इस कारण इसी अनुसूची के भाग 3 के अनुसार इस प्रकार के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस कारण विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तथ्य में बल नहीं हैं कि जैर अपील आदेश की अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं हो। अब द्वितीय तथ्य यह प्रकट होता है कि अपील मियाद बाहर होने से पोषणीय है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" विधि यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय हित में पक्षकारों के अधिकार गुणावगुण के आधार पर तय किये जाएं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तकनीकी अधार पर किसी पक्षकार को अपने हक से वंचित नहीं कराया जा सकता। इसके अतिरिक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को लेकर ऐसा कोई विशिष्ठ कारण दर्शित नहीं हुआ है, जो यह साबित करता हो, कि अपीलाण्ट द्वारा जानबूझकर अपील देरीना प्रस्तुत की हो। इस अनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तग्रत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान द्वारा बतौर प्रार्थी भूमि विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रकरण दिनांक 09.10.2006 को दायर किया गया है तथा मुख्यत: पकरण कईं वर्षो तक सरकारी पैरोकार के जवाब में ही नियत रहा तथा इसी प्रकरण से प्रकरण विलम्बित हुआ। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने में दोनों की पक्ष बतौर प्रार्थी उपस्थित हुए थे तथा मात्र एक प्रार्थी द्वारा प्रकरण को विड्रो करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण को खारिज किया जाना, अन्य प्रार्थीगण के हितों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व विधि प्रकरण संख्या 55/2016 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2014 को खारिज किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे प्रकरण में पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 3 के नियम 12 से 17 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए तीन माह के भीतर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान् दिनांक 28-5-18 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली